महत्वपूर्ण सूचनाएँ

यात्रा भत्ते की दरें

श्रेणी	मूल वेतन	रेल से यात्रा	सड़क से यात्रा	सड़क यात्रा भत्ता (ड्यूटी स्थान/आवास से रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड, हवाई अड्डा तक) या वापस लौटने हेतु	इन्सीडेंटल चार्जेज प्रति किमी.	जयपुर के अतिरिक्त राज्य में दैनिक भत्ता	जयपुर में※		नई दिल्ली, मुम्बई कोलकाता, चेन्नई		स्थानान्तरण यात्रा भत्ता	
							दैनिक भत्ता	बोर्डिंग एवं लॉजिंग	दैनिक भत्ता	बोर्डिंग एवं लॉजिंग	एक मुश्त अनुदान	लगेज प्रति किमी.
क	37000 एवं अधिक	किसी भी रेलगाड़ी/श्रेणी	ए.सी., डीलक्स	जयपुर 60 रु. कोटा, अजमेर 45 रु.	7 पैसे	135	170	425	260	650	3000	10
ख	19000 से 36999	ए.सी. थ्री-टायर ए.सी. चेयरकार	अर्द्ध डीलक्स उच्चतर श्रेणी बस	जोधपुर, बीकानेर उदयपुर अन्य स्थान 25 रु.	5 पैसे	120	150	330	230	505	2500	10
ग	15000 से 18999 तक	ए.सी. चेयरकार नॉन ए.सी. स्लीपर	साधारण	जयपुर 50 रु. कोटा, अजमेर 40 रु. जोधपुर, बीकानेर	3 पैसे	105	130	250	200	380	2000	6
घ	10000 से 14999 तक	स्लीपर द्वितीय श्रेणी	एक्सप्रेस या मेल श्रेणी	उदयपुर अन्य स्थान 25 रु.	3 पैसे	90	110	160	170	245	1500	4.60
ङ	0 से 9999	स्लीपर द्वितीय श्रेणी			3 पैसे	55	70	85	105	125	1000	4

※ ये दरें समस्त राज्यों की राजधानी एवं नागपुर, कानपुर, इलाहाबाद, पूना, अहमदाबाद एवं राज्य के बाहर के पर्वतीय स्थलों पर भी लागू होंगी।

1. किसी रेल में ए.सी. थ्री-टायर नहीं होने पर 'ख' श्रेणी के कर्मचारी ए.सी. टू-टायर से यात्रा कर सकेंगे।
2. कार्य स्थान से हवाई अड्डे तक जाने व वापिस आने के लिए मील भत्ता जयपुर व उदयपुर हेतु 100/- रुपये तथा जोधपुर व कोटा हेतु 50/- रु. 3. दैनिक यात्रा मुख्यालय में 6 घंटे अनुपस्थिति के लिए शून्य, 6 से अधिक 12 घंटे तक के लिए 50% तथा 12 घंटे से अधिक के लिए पूर्ण दैनिक भत्ता देय होगा 4. वायुयान से 37000/- रु. या अधिक प्रतिमाह वेतन प्राप्त करने वाले सरकारी अधिकारी यात्रा हेतु अधिकृत हैं। वायुयान की यात्रा में आनुषंगिक प्रभार किराये का 20% होगा जो कि दैनिक भत्ता यात्रा के 3/4 तक सीमित होगा 5. वायुयान से 80,000 रुपये या इससे अधिक वेतन प्राप्त करने वाले अधिकारी एक्जीक्यूटिव क्लास में यात्रा हेतु अधिकृत हैं एवं 37000/- रु. एवं अधिक परन्तु 80,000 रु. से कम मूल वेतन आहरित कर रहे अधिकारी इकोनोमिक क्लास/स्टैण्डर्ड क्लास/निम्नतम क्लास में यात्रा हेतु अधिकृत हैं।

जी.पी.एफ. की दरें

चालू वेतन बैंड में वेतन+ग्रेड वेतन	जी.पी.एफ. (1.9.08)
9000 तक	400
9001-11000	500
11001-15000	900
15001-20000	1200
20001-24000	1700
24001-28000	2500
28001-31000	3200
31000 से अधिक	4200

1 जनवरी, 2004 या इसके पश्चात् नियुक्त कर्मचारियों के वेतन से उक्त कटौती नहीं होगी।

वर्दी व्यय की सीमा

1. शासन सचिवालय के कार्यरत जमादार	994/- प्रतिवर्ष
2. अन्य विभाग के जमादार	658/- प्रतिवर्ष
3. मोटर गैराज/जिला पूल के वाहन चालक	667/- प्रतिवर्ष
4. अन्य विभागों में कार्यरत वाहन चालक एवं च.श्रे. कर्मचारी	543/- प्रतिवर्ष
5. महिला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	762/- प्रतिवर्ष
6. नर्सिंग स्टॉफ	948/- प्रतिवर्ष

(आ.दि. 4-1-94)

वाहनों को किराये पर लेने के निर्देश

जिला कलक्टर जिले में स्थित कार्यालयों हेतु किराये पर लिये जाने वाले वाहनों की मांग का निर्धारण करने के पश्चात् 1500 किमी. मासिक परिचालन एवं 60 किमी. प्रतिदिन के आधार पर संकलित निविदा जारी कर दरें निर्धारित करेगा, किन्तु विभाग जहां 10 या अधिक किराये पर वाहनों की आवश्यकता है तो सम्बन्धित विभागाध्यक्ष अपनी आवश्यकता अनुसार निविदा आमंत्रित कर दरें निर्धारित कर सकेगा। किसी भी मामले में किसी भी वाहन पर व्यय 13500 रुपये प्रति माह एवं 540 रुपये प्रतिदिन की दर से अधिक न हो।

निर्धारित किमी. प्रतिमाह से अधिक परिचालन पर नियमितीकरण:-

एक माह में 250 कि.मी. तक अधिक परिचालन के लिए - जिला कलक्टर

एक माह में 251-500 कि.मी. तक अधिक परिचालन के लिए - संभागीय आयुक्त

एक माह में 500 किमी. से अधिक परिचालन के लिए - वित्त विभाग

(आ.दि. 2.1.2006, 15.5.2006, 17.6.2008)

कार्य ग्रहण काल

पुराने व नये मुख्यालय	स्वीकार्य कार्य ग्रहण काल	सड़क द्वारा 200 कि.मी.निरन्तर यात्रा किये जाने पर
1000 किमी या कम	10 दिवस	12 दिवस
1000 किमी से अधिक	12 दिवस	15 दिवस
2000 किमी से अधिक	15 दिवस	15 दिवस

कार्यवाहक भत्ते की दरें (1.1.07) से

1. यदि धारित पद समकक्ष या निम्न है	30 दिवस से 60 दिवस तक परिकल्पित
1. (लेकिन अधीनस्थ नहीं)	वेतन का 1.50% तथा 60 दिवस से अधिक कार्य करने पर परिकल्पित वेतन का 3%
2. यदि दूसरा पद अपने द्वारा	उच्चतर पद का वेतन अथवा 30 दिवस से
2. धारित पद से उच्च हो	60 दिवस तक परिकल्पित वेतन का 1.50% तथा 60 दिवस से अधिक परिकल्पित वेतन का 3%

ब्याज की दरें

राज्य बीमा - ऋण (आ.दि. 10.5.04 तथा 1.4.03 से प्रभावी)	8.5%
जी.पी.एफ. अग्रिम	शून्य

कालातीत दावे

1. वेतन भत्ते, यात्रा भत्ता, चिकित्सा भत्ता, आकस्मिक व्यय, सहायता अनुदान, छात्रवृत्ति आदि के किसी भी प्रकार के दावे उनके देय होने की तारीख से 2 वर्ष के भीतर कोष कार्यालय में प्रस्तुत किये जायेंगे, यदि उन्हें 2 वर्ष के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो दावा कालातीत समझा जावेगा तथा वह सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। कार्यालयाध्यक्ष का उत्तरदायित्व होगा कि सभी दावे उनके देय होने की तारीख से 2 वर्ष के भीतर प्रस्तुत कर दिये जावे। यह नियम 500/- या कम के दावों पर लागू नहीं होता है, उन्हें तीन वर्ष के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है, परन्तु क्षेत्राधिकार में लाने हेतु दावों को विभाजित नहीं किया गया हो। 3 वर्ष से अधिक पुराने समस्त छुटपुट दावे (100 रुपये तक) जिनकी देरी के पर्याप्त कारण स्पष्ट नहीं है, निरस्त कर दिये जायें। (सा.वि.ले.नि. पार्ट-प्रथम नियम 90)

2. सभी कालातीत दावे कार्यालयाध्यक्ष/क्षेत्रीय अधिकारी/विभागाध्यक्ष द्वारा प्री चैक होने पर स्वीकृत व भुगतान किये जा सकेंगे। (नियम 91)

3. सरकारी कर्मचारी द्वारा यात्रा भत्ते के दावों को देय होने की दिनांक से 1 वर्ष की अवधि के भीतर कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत नहीं किया गया हो तथा संतोषजनक कारण नहीं हो तो कार्यालयाध्यक्ष दावे को निरस्त कर सकता है।

प्री चैक के लिए समय परिसीमा

1. यात्रा भत्ता - यात्रा पूर्ण होने की दिनांक से
2. चिकित्सा क्लेम - प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा हस्ताक्षर या प्रतिहस्ताक्षर करने की दिनांक से
3. साधारण वेतन वृद्धि - सक्षम अधिकारी द्वारा सामयिक वेतन वृद्धि प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने की दिनांक से
4. स्थानापन्न वेतन, अवकाश वेतन - स्वीकृति की दिनांक से
5. वेतन स्थिरीकरण एरियर - वेतन स्थिरीकरण के विवरण पत्र का अनुमोदन करने की दिनांक से
6. अधिसमय (ओवर टाइम) हेतु मानदेय - स्वीकृति की दिनांक से
7. आकस्मिक दावे-प्रस्तुत करने पर आगामी माह की प्रथम दिनांक से
8. ग्रान्ट इन एड, छात्रवृत्ति, स्टाइफण्ड - स्वीकृति की दिनांक से

राज्य बीमा की दरें

चालू वेतन बैंड में वेतन+ग्रेड वेतन	दर.प्र.मा. 1.4.09 से
6050-8500	180
8501-11000	240
11001-18000	480
18001-28000	720
28000 से अधिक	1200
अधिकतम	1500

सेवा कर की दर 1.03%

पेंशन एवं ग्रेच्युटी मुख्य बिन्दु

पेंशन - वेतन की आधी पेंशन होगी परन्तु यदि योग्यता सेवा 33 वर्ष से कम है तो उसी अनुपात में कम की जायेगी।

$$\text{फार्मूला} = \frac{\text{वेतन} \times \text{सेवा की अवधि}}{2 \times 66}$$

नोट - सेवा की अवधि अर्द्ध वर्ष में ली जावेगी। अर्द्ध वर्षों की संख्या अधिकतम 66 होगी।

पारिवारिक पेंशन - वेतन का 30 प्रतिशत 3025/- न्यूनतम 7700/- अधिकतम सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर पारिवारिक पेंशन की दुगनी या वेतन की आधी या पेंशन के बराबर जो भी हो, पारिवारिक पेंशन देय होगी। किन्तु न्यूनतम सेवा 7 वर्ष की होनी चाहिए तथा बढ़ी हुई पेंशन 7 वर्ष या मृतक के 65 वर्ष की आयु तक जो भी पूर्व में हो देय होगी।

पेंशन का रूपांतरण - (Commutation)

1. राज्य कर्मचारी को देय पेंशन का 1/3 (तीसरा हिस्सा) पेंशन कम्प्यूटेड कराई जा सकती है। रूपान्तरण के 14 वर्ष पश्चात् रूपान्तरण पेंशन पुनः स्थापित हो जाती है।
2. 58 वर्ष पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को निम्न कम्प्यूटेशन मिलेगा - पेंशन का तीसरा हिस्सा × 12×8.446
3. 60 वर्ष पर सेवानिवृत्ति पर कम्प्यूटेशन - पेंशन का तीसरा हिस्सा × 12 × 8.287

नोट 1. पेंशन का तीसरा हिस्सा निकटतम नीचे के रुपये में होगा।
2. कर्मचारी 58 या 60 वर्ष के पहले सेवानिवृत्ति लेता है तो 8.446 व 8.287 के स्थान पर निम्न राशि लिखकर गणना करेंगे (प्रभावी दि. 1.1.07)

54 वर्ष की आयु के बाद सेवानिवृत्त	8.678	57 वर्ष	8.512
55 वर्ष	8.627	59 वर्ष	8.371
56 वर्ष	8.572	61 वर्ष	8.194

ग्रेच्युटी - एक साल की सेवा पर आधे माह का वेतन दिया जावेगा या आधे साल की सेवा पर चौथाई माह (1/4) का वेतन दिया जावेगा।

फार्मूला : ग्रेच्युटी = सेवा × वेतन + महंगाई वेतन + महंगाई भत्ता/2

नोट : (1) अधिकतम ग्रेच्युटी 10.00 लाख दी जावेगी।

सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर ग्रेच्युटी की राशि निम्न प्रकार देय होगी

1. एक साल की सेवा पर	2 माह का वेतन
2. एक साल से अधिक किन्तु 5 वर्ष से कम	6 माह का वेतन
3. 5 वर्ष से अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम	12 माह का वेतन
4. 20 वर्ष से अधिक सेवा	प्रत्येक पूर्ण की गई छमाही 1/2 माह का वेतन जो 33 माह के वेतन या 3.50 लाख रुपये दोनों में से जो भी कम हो।

वेतन = (मूल वेतन + महंगाई भत्ता + महंगाई वेतन)

राजकीय चिकित्सालय में निःशुल्क चिकित्सा हेतु कॉटेज वार्ड की सुविधा (1.9.2008 से प्रभावी)

(क) 25000 रु. प्रतिमाह व इससे अधिक वेतन	डीलक्स कॉटेज वार्ड
(ख) 14000 रु. से 24999 प्र.मा. तक	कॉटेज वार्ड
(ग) 6600 से 13999 तक	निम्न कोटि का किराया वाला वार्ड (नियम-6क्यू(1) चि.पं. नियम)

कॉटेज/क्यूबीकल वार्ड कर्मचारियों पेंशनरों, स्वतंत्रता सेनानियों, वरिष्ठ नागरिकों, गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों को निःशुल्क।

आ.दि.प.18(24)चि.स्वा.ग्रुप-1/96दि. 5.7.99

कार्यालयाध्यक्ष की अवकाश स्वीकृत करने की शक्ति

राजपत्रित अधिकारी जहाँ ऐवजी की आवश्यकता नहीं	4 माह की अवधि
जहाँ ऐवजी की आवश्यकता है (अध्ययन अवकाशों व अयोग्यता अवकाश के अलावा)	2 माह की अवधि
अधीनस्थ सेवा के कर्मचारी	4 माह की अवधि
मंत्रालयिक कर्मचारी	4 माह की अवधि
च.श्रे. कर्मचारी	पूर्ण शक्तियाँ
सेवानिवृत्ति पर बकाया उपार्जित अवकाश का भुगतान	पूर्ण शक्तियाँ

नवीन अंशदायी पेंशन योजना

1 जनवरी, 2004 या उसके पश्चात् नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारियों के चालू वेतन बैंड में वेतन+ग्रेड वेतन, महंगाई भत्ते के योग पर 10% की दर से पेंशन खाते के लिए कर्मचारी के वेतन से प्रत्येक माह अंशदान की कटौती की जाएगी तथा इसके समान राशि का अंशदान राज्य सरकार द्वारा ''89 अंशदायी पेंशन योजना में सरकार का अंशदान'' मद से प्रभार्य होगा।

अंशदान की राशि प्रत्येक माह कोषालय में खोले गये ब्याज युक्त पी.डी. खाते में रखी जायेगी।

(आदेश दि. 2.8.2005 एवं 3.2.2007)

राजकीय आवास के किराये की कटौती दरें (1.9.2008 से)

चालू वेतन बैंड में वेतन+ग्रेड वेतन	दर
13000 से कम	0.75%
13000-18999	1.50%
19000 व अधिक	2.00%

विकलांग भत्ता

वेतन का 3% या 300/- प्रतिमाह जो भी कम हो